



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार/Ministry of Labour & Employment, Govt. of India
क्षेत्रीय कार्यालय, हावड़ा/ Regional Office, Howrah
24, बेलिलियसरोड, छठीमंजिल/24, Belilious Road (6th Floor), हावड़ा/Howrah-711101
Website: www.epfindia.gov.in Email id : ro.howrah@epfindia.gov.in

No. WB/RO-Howrah/Adm-115A/(SRMP-DO)/Vol.I /885 Date : 29-3-2023.

**TENDER NOTICE FOR HIRING OF OFFICE ACCOMMODATION AT
SERAMPURE, DISTRICT HOOGHLY, WEST BENGAL.**

Employees' Provident Fund Organisation, Howrah requires office accommodation on rent for its District Office, Serampore with the Carpet area of about **1110.43 Sq. Ft.** each in area easily approachable to public. The interested Public/Private Persons/Institutions/Organisation/ Authorities may send their offer in Two Bid System (Technical Bid & Financial Bid) through offline mode only in the prescribed format on or before 28/04/2023 at 4.00 P.M to the address mentioned below :-

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
REGIONAL OFFICE, HOWRAH,
24, BELILIOUS ROAD, 6TH FLOOR,
HOWRAH-711101.

(Signature)
24/3/23

(Sharique Tanwir)
Regional Provident Fund Commissioner-II
Regional Office, Howrah

TERMS AND CONDITIONS TO BE SATISFIED :

1. The successful party will be declared as "the lessor" which means and included not only the party but also his legal heirs, successors, successors in office, legal representatives.
2. Any change in the ownership of the premises shall be notified forthwith by the lesser to the lessee in writing and such change shall not relieve the succeeding owner of liabilities under this contract.
3. In case a particular party owns more than one premises and he wishes to submit Expression of Interest (EOI) in respect of those premises, he should submit separate EOI containing technical document and price quotation in respect of each premises.
4. In case of co-owners/joint owners, the technical document & Price quotation should be signed by all the co-owners/joint owners. In case any one of the owners chooses to sign the Expression of Interest (EOI) documents, he should invariably submit an authorization to do so from the remaining owners.
5. The building in which office space is offered shall have all basic amenities like proper water connections/facilities, adequate fire protection system as per local authority requirements etc. The building should have separate electricity and water connections. Sufficient wiring and meters should be in place to take up electricity load for air conditioning of the premises. EPFO shall bear actual charges for consumption of electricity and water. Owner should undertake to provide separate electricity/water meters for this purpose.
6. In case of damage to the leased property due to any natural calamities, rioting etc., EPFO, Regional Office, Howrah will be undertake to compensate the loss or damage incurred by the owner of the property.
7. The EOI will be acceptable from the original owner/lease holder/power of attorney holder of the building/property or their authorized agents. The lease deed would however be executed by the original owner/lease holder. The lease deed would be executed after the verification of documents and physical and physical inspection of the premises offered for hire by EPFO, Regional Office, Howrah. The building should be legally free from all encumbrances. The owner has to submit a certificate stating that no case is pending against the property for which offer is given.
8. The premises should have adequate parking facility.

9. The owner shall mention whether he/she is ready to bear the cost of registration of the leased deed.
10. The owner shall sign all the papers of tender documents in taken of having understood the terms and conditions.
11. A non-encumbrances Certificate issued by Registrar Authority for the last 15 year must be provided.
12. No advance/deposit will be made by EPFO
13. Rent shall be payable from the date of handing over vacant possession of the premises for DISTRICT OFFICE of EPFO, after completion of necessary repairs, renovation, addition etc.
14. Rent will be payable for the month on or before 10th of each month following the month for which the same shall become due.
15. A Key plan of the building should be enclosed along with the offer.
16. The premises should have separate Toilets for Ladies and Gents or should undertake to make arrangements. Sufficient water supply should be available. Source of water supply needs to be mentioned.
17. Rent will be paid on carpet area. The carpet area means area of the premises less, wall/columns, staircase, verandah, lobby, balcony, toilets etc. Even though the same is given for EPFO's use in build up area.
18. The owner of the building has to clearly mention whether she/he is ready to accept the fair rent to be fixed by the CPWD/PWD or the rent which he/she quotes or whichever is less.
19. EPFO, RO, Howrah will not make any security deposit or any brokerage for the offered property under any circumstances.
20. The lease rental shall be subject to TDS as per the provisions of the Income Tax Act in force along with all statutory laws as applicable from time to time.
21. All existing and future/enhanced Municipal Corporation taxes, and other taxes, fees will be paid by owner/renewal fees towards obtaining NOC from COMPETENT LOCAL AUTHORITY for commercial use of the premises will be borne by owner of the premises.
22. For the floor area measurement a certificate from the registered architect or any government authority should be submitted along with the technical document.

23. EOI not conforming to these requirements shall be rejected and no correspondence will be entertained in this regard whatsoever.
24. After opening of the technical document and before evaluation of the same, the Committee constituted by the lessee (EPFO, RO, Howrah) shall inspect the premises and ascertain its suitability for the purpose of setting of the office. In case the committee finds the premises not suitable for the purpose of setting up of the office documents submitted by such a owner will not be evaluated and the Pre-quotations of the owner will not be opened. The decision of the committee in this matter will be final.
25. EPFO, Regional Office, Howrah reserve the right to shortlist any offer or reject any offer or cancel the requirement altogether without assigning any reason.
26. Overwriting, alternations, if any, in the document should be signed by the authorized signatory.
27. The building should be ready to occupy immediately.
28. EPFO, Regional Office, Howrah may at any time during the period of the rent/extended rent period make such structural alternations to the existing building such as partitions, office fixtures and fitting as may be easily removable.

29. Lease Period

A period of 05(Five) years from the date of handing over vacant possession and thereafter option of further extended period on mutually agreed consent of both the parties with enhancement of rent at as per District Office of EPFO policy. However, rent may be revised after the period of 5 years up to 15% on the existing rent or on fair rent certification from CPWD/PWD of the State Govt. on subsequently on mutual consent. Further on 3 Month's Notice the proposed premises may be vacated by the either party.

30. **The following documents should be submitted along with EOI Documents :-**
- i. Copy of ownership certificate.
 - ii. Copy of latest Tax paid receipt for the commercial use of the building.
 - iii. Latest encumbrance certificate.
 - iv. No legal case is pending certificate from owner.
 - v. Copy of approved plan from local body.
 - vi. Copy of completion/occupancy certificate from local body.
 - vii. Fire clearance from the fire department.

viii. Key plan of the premises.

ix. Details of availability of Electrical load.

x. Copy of the latest electrical bill.

xi. Copy of the fair rent to be issued by CPWD/PWD of the state Govt.

xii. Whether owner is willing to sign EPFO Standards Lease Deed with the condition to renew the rent after every 5 years with 15% enhancement.

xiii. Certificate for validity of offer for 6 months.

xiv. Agreement to be register with the expense of owner. Certificate in this regard if agrees for the same to be submitted.

A. TECHNO-COMMERCIAL BID

Interested parties should submit the complete expression of interest documents including Annexure-I, Annexure-II and Annexure-III duly filled in and ink signed at the bottom of each page, in token of having accepted the terms and conditions. These documents as well as addition 1 information land the documents called for in EOI document should be sealed in an envelope superscripted. :

TECHNICAL DOCUMENT FOR OFFICE ACCOMMODATION
‘EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION, DISTRICT OFFICE,
SERAMPORE.

B. PRICE BID

Price quotation for monthly rent (Both figures and words), in lump sum strictly as per Annexure-II may be put in second envelope duly sealed and superscripted.

‘PRICE QUOTATION FOR MONTHLY RENT FOR ACCOMMODATION
“EMPLOYEES PROVIDEITN FUND ORGANISTION, DISTRICT OFFICE,
SERAMPORE.

Both this envelopes may then be put in another bigger separate cover. This third cover may also be sealed and bear superscription. “EOI FOR OFFICE ACCOMMODATION FOR “EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION, DISTRICT OFFICE, HOWRAH.”

31. The EOI offer should be sent either by speed post or may be submitted in drop box so as to reach Employees’ Provident Fund Organisation, 24, Belilious Road, 6th Floor, Howrah-711101 on or before/04/2023, 03 PM. The EOI should be submitted by name to Regional P. F. Commissioner (Administration).

32. Request received against the EOI shall be processed in two parts. All information and documents furnished in response to this invitation including Annexure-I shall

be deemed to be technical offers are found acceptable and suitable by the committee.

33. Rent charges shall be paid at the fixed rate at the end of each month or as per the Lease Agreement entered into with the party on the Terms and Condition mutually agreed.
34. In the event of Technical offer being found acceptable, the selected party will be required to furnish the original copy of the Title Deed of the Property along with proof of identity of the owner along with photograph(s) before the price bids are opened. Original Documents shall be returned after decision is taken to open prose bids or otherwise.
35. Quoting parties may keep their offer valid for a period of 12 months.
36. The "Price quotations for monthly rent for accommodation Employees' Provident Fund Organisation, District Office, Serampore" of the selected technical offers only will be opened.
37. The decision of EPFO, District Office, Serampore/Regional Office, Howrah will be final and cannot be challenged.
38. If any special offers additional facilities are there from the owner's side that may be mentioned as separate attachment.

Annexure-I (TECHNICAL BID)

1. Name of Person/Party holding Title to the Property :-
2. Nationality of the Owner
3. Full Postal Address of Property with PIN code
4. Total Carpet Area in Sq. Feet(Floor wise)
5. Contact details Name :

Mobile No. :

E-mail :

6. Essential Documents furnished (Please tick mark the correct option)

- | | |
|--|--------|
| i) Copy of ownership certificate | YES/NO |
| ii) Copy of latest Tax paid receipt for the commercial use of the building | YES/NO |
| iii) Latest encumbrance certificate | YES/NO |
| iv) No legal case is pending certificate from owner | YES/NO |
| v) Copy of approved plan from local body. | YES/NO |
| vi) Copy of completion/occupancy certificate from local body | YES/NO |
| vii) Fire clearance from the fire department. | YES/NO |
| viii) Key plan of the premises | YES/NO |
| ix) Details of availability of Electrical load | YES/NO |
| x) Copy of the latest electrical bill | YES/NO |
| xi) Copy of the fair Rent to be issued by CPWD/PWD of the State Govt. | YES/NO |
| xii) Whether owner is willing to sign EPFO Standards Lease Deed with the condition to renew the rent after every 5 years with 15% enhancement. | YES/NO |
| xiii) Certificate for validity of offer for 6 months. | YES/NO |
| xiv) Agreement to be registered with expense of owner, Certificate in this regard if agrees for the same to be submitted. | YES/NO |

Annexure-II (FINANCIAL BID)

Name :

Address (Office & Residence) :

Address of property offered:

Sl. No.	Brief Description	Total Carpet area	Rent quoted per square foot	Total amount/Month in Rs.
1.	Property offered			
2.	Taxes if any			
3.	Any other charge			
	Total			

Total Monthly rental (In figures inclusive of every charge) Rs. :

Total Monthly rental (In words inclusive of every charge) Rs. :

Incremental/Decremental rates of rent for the extended period in percentage :

Signature

Name

Designation

Note :

- a) Quote should be covering all taxes and duties.
- b) Total Monthly rental shall be the amount payable by Employees' Provident Fund Organisation, Regional Office Howrah/District Office, Serampore monthly as rent.
- c) Rates should be quoted in figures and words without any errors, overwriting or corrections and should include all applicable taxes etc. In case of any discrepancy between the amount mentioned in number and words, the amount mentioned in words shall prevail.

Annexure -III

DECLARATION


I.....S/o.....

hereby offer the premises stated in the Annexure I for rent to Employees' Provident Fund Organisation, Regional Office, Howrah. Whatever is stated in the EOI documents true to the best of my knowledge and ability. I have not changed the contents of the EOI document and have duly verified and signed the same.

Yours faithfully,

Name & signature with stamp

(If any) of party of Authorized signatory.



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार/Ministry of Labour & Employment, Govt. of India
क्षेत्रीय कार्यालय, हावड़ा/ Regional Office, Howrah
24, बेलिलियस रोड, छठी मंजिल/24, Bellilious Road (6th Floor), हावड़ा/Howrah-711101
Website: www.epfindia.gov.in Email id : ro.howrah@epfindia.gov.in

सं. डब्ल्यूबी/आरओ-हावड़ा/प्रशा.-115ए/(एसआरएमपी-डीओ)/Vol.-1/885 दिनांक : 27.3.2023

श्रीरामपुर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल में कार्यालय आवास को किराए पर लेने के लिए निविदा सूचना।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, हावड़ा को अपने जिला कार्यालय, श्रीरामपुर के लिए लगभग 1110.43 वर्ग फिट के कार्पेट एरिया के साथ किराए पर कार्यालय आवास की आवश्यकता है जहां जनता आसानी से पहुँच सके। इच्छुक सार्वजनिक/निजी व्यक्ति/संस्थान/संगठन/प्राधिकरण अपना प्रस्ताव दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) में निर्धारित प्रारूप में केवल ऑफलाइन मोड के माध्यम से/04/2023 को शाम 4.00 बजे तक भेज सकते हैं। नीचे उल्लिखित पता:-

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
क्षेत्रीय कार्यालय, हावड़ा,
24, बेलिलियस रोड, 6वीं मंजिल,
हावड़ा-711101.

24/3/23

(शारिक तनवीर)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II
क्षेत्रीय कार्यालय, हावड़ा

पूरी करने वाली नियम और शर्तें

1. सफल पार्टी को "पट्टेदार" के रूप में घोषित किया जाएगा जिसका अर्थ है और इसमें न केवल पार्टी बल्कि उसके कानूनी उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, कार्यालय में उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि शामिल हैं।
2. परिसर के स्वामित्व में किसी भी प्रकार की सूचना पट्टेदाता द्वारा पट्टेदार को लिखित रूप में दी जाएगी और इस तरह के परिवर्तन से इस अनुबंध के तहत देनदारियों के उत्तरवर्ती मालिक को राहत नहीं मिलेगी।
3. यदि किसी विशेष पक्ष के पास एक से अधिक परिसर हैं और वह प्रत्येक परिसर के संबंध में तकनीकी दस्तावेज और मूल्य उद्धरण युक्त रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना चाहता है।
4. सह-मालिकों/संयुक्त मालिकों के मामले में, तकनीकी दस्तावेज़ और मूल्य कोटेशन पर सभी सह-मालिकों/संयुक्त मालिकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि कोई मालिक रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना चाहता है, तो उसे अनिवार्य रूप से शेष मालिकों से ऐसा करने के लिए एक प्राधिकरण प्रस्तुत करना चाहिए।
5. जिस भवन में कार्यालय की जगह की पेशकश की जाती है, उसमें सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे उचित पानी के कनेक्शन/सुविधाएं, स्थानीय प्राधिकरण की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त अग्नि सुरक्षा प्रणाली आदि होनी चाहिए। इमारत में अलग से बिजली और पानी के कनेक्शन होने चाहिए। परिसर के एयर कंडीशनिंग के लिए बिजली का भार उठाने के लिए पर्याप्त वायरिंग और मीटर होने चाहिए। ईपीएफओ बिजली और पानी की खपत के लिए वास्तविक शुल्क वहन करेगा। मालिक को इस प्रयोजन के लिए अलग से बिजली/पानी के मीटर प्रदान करने का वचन देना चाहिए।
6. किसी प्राकृतिक आपदा, दंगे आदि के कारण पट्टे पर दी गई संपत्ति को नुकसान होने की स्थिति में, ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, हावड़ा संपत्ति के मालिक द्वारा किए गए नुकसान या क्षति की भरपाई करने का कार्य करेगा।
7. ईओआई भवन/संपत्ति के मूल मालिक/लीज धारक/पावर ऑफ अटॉर्नी धारक या उनके अधिकृत एजेंटों से स्वीकार्य होगा। हालांकि लीज डीड का निष्पादन मूल मालिक/लीज धारक द्वारा किया जाएगा। लीज डीड दस्तावेजों के सत्यापन और ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, हावड़ा द्वारा किराए के लिए प्रस्तावित परिसर के भौतिक और भौतिक निरीक्षण के बाद निष्पादित की जाएगी। भवन कानूनी रूप से सभी बाधाओं से मुक्त होना चाहिए। मालिक को एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा कि जिस संपत्ति के लिए प्रस्ताव दिया गया है, उसके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है।
8. परिसर में पर्याप्त पार्किंग सुविधा होनी चाहिए।

9. मालिक को यह उल्लेख करना होगा कि क्या वह लीज डीड के पंजीकरण की लागत वहन करने के लिए तैयार है।
10. स्वामी निविदा दस्तावेजों के सभी कागजातों पर नियम व शर्तों को समझ लेने के बाद ही हस्ताक्षर करेगा
11. पिछले 15 वर्षों के लिए रजिस्ट्रार प्राधिकरण द्वारा जारी एक गैर-भार प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए।
12. ईपीएफओ द्वारा कोई अंशिम/जमा नहीं किया जाएगा
13. आवश्यक मरम्मत, जीर्णोद्धार, परिवर्धन आदि के पूरा होने के बाद, परिसर के खाली कब्जे को ईपीएफओ के जिला कार्यालय को सौंपने की तिथि से किराया देय होगा।
14. जिस महीने के लिए किराया देय होगा, उसके बाद के प्रत्येक महीने की 10 तारीख को या उससे पहले महीने के लिए किराया देय होगा।
15. भवन की एक मुख्य योजना अधिकारी के साथ संलग्न की जाए।
16. परिसर में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय होने चाहिए या व्यवस्था करने का वचन देना चाहिए। पर्याप्त जलापूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए। जल आपूर्ति के स्रोत का उल्लेख किया जाना चाहिए।
17. कारपेट एरिया पर किराया देना होगा। कारपेट एरिया का मतलब है परिसर का क्षेत्रफल, दीवार/स्तंभ, सीढियां, बरामदा, लॉबी, शौचालय आदि को घटाकर। भले ही वह ईपीएफओ के विल्ड अप एरिया में इस्तेमाल के लिए दिया गया हो।
18. भवन के मालिक को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि क्या वह सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी द्वारा तय किए जाने वाले उचित किराए या उसके द्वारा दिए गए किराए या जो भी कम हो, को स्वीकार करने के लिए तैयार है।
19. ईपीएफओ, आरओ, हावडा किसी भी परिस्थिति में प्रस्तावित संपत्ति के लिए कोई सुरक्षा जमा या कोई दलावी नहीं देगा।
20. समय-समय पर लागू सभी वैधानिक कानूनों के साथ-साथ आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लीज रेंटल टीडीएस के अधीन होगा।
21. परिसर के वाणिज्यिक उपयोग के लिए सक्षम स्थानीय प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करने के लिए सभी मौजूदा और भविष्य/बड़े हुए नगर निगम करों, और अन्य करों, शुल्क का भुगतान मालिक द्वारा किया जाएगा/नवीनीकरण शुल्क परिसर के मालिक द्वारा वहन किया जाएगा।

22. फर्श क्षेत्र माप के लिए तकनीकी दस्तावेज के साथ पंजीकृत वास्तुकार या किसी सरकारी प्राधिकरण से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

23. ईओआई इन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होने पर खारिज कर दिया जाएगा और इस संबंध में किसी भी तरह के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

24. तकनीकी दस्तावेज खोलने के बाद और उसके मूल्यांकन से पहले, पट्टेदार (ईपीएफओ, आरओ, हावड़ा) द्वारा गठित समिति परिसर का निरीक्षण करेगी और कार्यालय की स्थापना के उद्देश्य से इसकी उपयुक्तता का पता लगाएगी। यदि समिति परिसर को कार्यालय स्थापित करने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं पाती है तो ऐसे स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और स्वामी का पूर्व-उद्धरण नहीं खोला जाएगा। इस मामले में समिति का निर्णय अंतिम होगा।

25. ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, हावड़ा बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को शॉर्टलिस्ट करने या किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करने या आवश्यकता को पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

26. दस्तावेज में ओवरराइटिंग, परिवर्तन, यदि कोई हो, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

27. भवन कब्जे के लिए तत्काल तैयार हो।

28. ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, हावड़ा किराए की अवधि/विस्तारित किराए की अवधि के दौरान किसी भी समय मौजूदा भवन में विभाजन, कार्यालय जुड़नार और फिटिंग जैसे संरचनात्मक परिवर्तन कर सकता है जो आसानी से हटाने योग्य हो सकते हैं।

29. पट्टा अवधि

खाली कब्जा सौंपने की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की अवधि और उसके बाद ईपीएफओ नीति के जिला कार्यालय में किराए में वृद्धि के साथ दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति पर आगे विस्तारित अवधि का विकल्प। हालांकि, मौजूदा किराए पर या राज्य सरकार के सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी से उचित किराया प्रमाणीकरण पर किराए को 5 साल की अवधि के बाद 15% तक संशोधित किया जा सकता है। बाद में आपसी सहमति से। आगे 3 महीने के नोटिस पर प्रस्तावित परिसर को किसी भी पक्ष द्वारा खाली किया जा सकता है।

30. ईओआई दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए: -

i. स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रति।

ii. भवन के व्यावसायिक उपयोग के लिए नवीनतम कर भुगतान रसीद की प्रति।

- iii. नवीनतम भार प्रमाणपत्र।
- iv. स्वामी के प्रमाण पत्र पर कोई कानूनी मामला लंबित नहीं है।
- v. स्थानीय निकाय से अनुमोदित योजना की प्रति।
- vi. स्थानीय निकाय से पूर्णता/अधिभोग प्रमाण पत्र की प्रति।
- vii. अग्निशमन विभाग से फायर क्लीयरेंस।
- viii. परिसर की मुख्य योजना।
- ix. विद्युत भार की उपलब्धता का विवरण।
- x. नवीनतम विद्युत बिल की प्रति।
- xi. राज्य सरकार के सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी किए जाने वाले उचित किराए की प्रति।
- xii. क्या मालिक शर्त के साथ ईपीएफओ मानक लीज डीड पर हस्ताक्षर करने को तैयार है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद 15% वृद्धि के साथ किराए का नवीनीकरण करें।
- xiii. 6 महीने के लिए प्रस्ताव की वैधता का प्रमाण पत्र।
- xiv. मालिक के खर्च के साथ रजिस्टर करने का समझौता। इस संबंध में प्रमाण पत्र यदि जमा करने के लिए सहमत है।

क. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली

इच्छुक पार्टियों को अनुबंध- I, अनुबंध- II और अनुबंध- III सहित रुचि के दस्तावेजों की पूरी अभिव्यक्ति को विशिष्ट भरकर और प्रत्येक पृष्ठ के नीचे स्पाही से हस्ताक्षर करके, नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इन दस्तावेजों के साथ-साथ अतिरिक्त 1 जानकारी और ईओआई दस्तावेज में मांगे गए दस्तावेजों को सुपरस्क्रिप्ट किए गए लिफाफे में सील कर दिया जाना चाहिए। :

कार्यालय आवास के लिए तकनीकी दस्तावेज "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिला कार्यालय, सेरामपुर।

ख - मूल्य बोली

मासिक किराए के लिए मूल्य उद्धरण (अंक और शब्द दोनों), एकमुश्त में अनुबंध- II के अनुसार सफ़ती से दूसरे लिफाफे में विशिष्ट मुहरबंद और सुपरस्क्रिप्ट किए जा सकते हैं।

आवास के लिए मासिक किराए के लिए मूल्य उद्धरण "कर्मचारी प्रदत्त निधि संगठन, जिला कार्यालय, सेरामपुर।

31. ईओआई प्रस्ताव या तो स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए या ड्रॉप बॉक्स में जमा किया जा सकता है ताकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, 24, बेलिलियस रोड, 6वीं मंजिल, हावड़ा -711101 पर

या उससे पहले पहुंच सके। , अपराहन 03. ईओआई नाम से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासन) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

32. ईओआई के लिए प्राप्त अनुरोध को दो भागों में संसाधित किया जाएगा। इस आमंत्रण के प्रत्युत्तर में मंलग्रह-1 सहित प्रस्तुत की गई सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को तकनीकी प्रस्ताव माना जाएगा जो समिति द्वारा स्वीकार्य और उपयुक्त पाए गए हैं।

33. प्रत्येक माह के अंत में नियत दर पर या पार्टी के साथ हुए लीज एग्रीमेंट के अनुसार नियम और शर्तों पर परस्पर सहमति से किराया शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

34. तकनीकी प्रस्ताव के स्वीकार्य पाए जाने की स्थिति में, चयनित पार्टी को मूल्य बोलियों को खोलने से पहले संपत्ति के शीर्षक विलेख की मूल प्रति के साथ मालिक की पहचान के प्रमाण के साथ फोटोग्राफ (ओं) को प्रस्तुत करना होगा। . मूल्य बोलियों को खोलने या अन्यथा निर्णय लेने के बाद मूल दस्तावेज वापस कर दिए जाएंगे।

35. कोट करने वाली पार्टियां अपने प्रस्ताव को 12 महीने की अवधि के लिए बंध रख सकती हैं।

36. केवल चयनित तकनीकी प्रस्तावों के "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिला कार्यालय, श्रीरामपुर आवास के लिए मासिक किराए के लिए मूल्य कोटेशन" खोले जाएंगे।

37. ईपीएफओ, जिला कार्यालय, श्रीरामपुर /क्षेत्रीय कार्यालय, हावड़ा का निर्णय अंतिम होगा और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

38. यदि कोई विशेष पेशकश मालिक की तरफ से अतिरिक्त सुविधाएं हैं तो उन्हें अलग अटैचमेंट के रूप में उल्लेख किया जा सकता है।

अनुबंध-1 (तकनीकी बोली)

1. संपत्ति का हक रखने वाले व्यक्ति/पार्टी का नाम :-

2. मालिक की राष्ट्रीयता

3. पिन कोड के साथ संपत्ति का पूरा डाक पता

4. कुल कार्पेट एरिया वर्ग फिट में (मंजिल वार)

5. संपर्क विवरण नाम :

मोबाइल नं. :

ईमेल :

6. प्रस्तुत किए गए अनिवार्य दस्तावेज (कृपया सही विकल्प पर निशान लगाएं)

i) स्वामित्व प्रमाणपत्र की प्रति हां/नहीं

ii) भवन के व्यावसायिक उपयोग के लिए भुगतान की गई नवीनतम कर रसीद की प्रति हां/नहीं

iii) नवीनतम भार प्रमाणपत्र हां/नहीं

iv) कोई कानूनी मामला संबन्धित नहीं है मालिक का प्रमाणपत्र हां/नहीं

v) स्थानीय निकाय से अनुमोदित योजना की प्रति हां /नहीं

vi) स्थानीय निकाय से पूर्णता/अधिभोग प्रमाण पत्र की प्रति हां/नहीं

vii) अग्निशमन विभाग से अग्नि निकासी हां/ नहीं

viii) परिसर की मुख्य योजना हां/नहीं

ix) विद्युत भार की उपलब्धता का विवरण हां/नहीं

x) नवीनतम विद्युत बिल की प्रति हां/नहीं

xi) राज्य सरकार के सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी किए जाने वाले उचित किराए की प्रति। हां/ नहीं

xii) क्या मालिक ईपीएफओ मानक लीज डीड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है

हर 5 साल बाद 15 फीसदी बड़ोतरी के साथ किराए का नवीनीकरण करने की शर्त। हां /नहीं

xiii) 6 महीने के लिए प्रस्ताव की वैधता का प्रमाण पत्र। हां/ नहीं

xiv) मालिक के खर्चों से निबंधन कराने का करार, इसमें प्रमाण पत्र

यदि प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं तो संबंध में। हां /नहीं

अनुबंध-II (वित्तीय बोली)

नाम :
पता (कार्यालय और निवास) :
प्रस्तावित संपत्ति का पता :

क्र.सं Sl. No.	संक्षिप्त विवरण Description	Brief	कुल कारपेट क्षेत्र Total Carpet area	प्रति वर्ग फुट उद्धृत किराया Rent quoted per square foot	कुल राशि/माह रुपये में Total amount/Month in Rs.
1.	संपत्ति की पेशकश की Property offered				
2.	कर यदि कोई हो Taxes if any				
3.	कोई अन्य शुल्क Any other charge				
	कुल Total				

कुल मासिक किराया (प्रत्येक शुल्क सहित आंकड़ों में) रु. :

कुल मासिक किराया (प्रत्येक शुल्क सहित शब्दों में) रु. :

बड़ी हुई अवधि के लिए किराए की वृद्धिशील/कमी दरें प्रतिशत में :

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :

टिप्पणी :

ए) उद्धरण में सभी कर और शुल्क शामिल होने चाहिए।

ख) कुल मासिक किराया कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय हावड़ा/जिला कार्यालय, धीरामपुर द्वारा मासिक किराए के रूप में देय राशि होगी।

ग) दरों को बिना किसी त्रुटि, ओवरराइटिंग या सुधार के अंकों और शब्दों में उद्धृत किया जाना चाहिए और इसमें सभी लागू कर आदि शामिल होने चाहिए। अंकों और शब्दों में उल्लिखित राशि के बीच कोई विभंगति होने की स्थिति में, शब्दों में उल्लिखित राशि मान्य होगी।

अनुबंध-III

घोषणा

मैं सुपुत्र

इसके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, हावड़ा को किराए के लिए अनुबंध- I में
बताए गए परिसर की पेशकश करते हूँ। ईओआई दस्तावेजों में जो कुछ भी कहा गया है वह मेरे
सर्वोत्तम ज्ञान और क्षमता के अनुसार सही है। मैंने ईओआई दस्तावेज की सामग्री को नहीं बदला है
और इसे विशिष्ट सत्यापित और हस्ताक्षरित किया है।

आपका विश्वासी,

मोहर के साथ नाम और हस्ताक्षर

(यदि कोई हो) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की पार्टी की।